



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 12622 सन् 2025

रेनू सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृपा शंकर पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिका निरस्त की जाती है।
2. आदेश के लिए, रिट-ए संख्या 4500 सन् 2023 (मुख्य वाद) में पारित आदेश को देखें।

जनवरी 28, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"